<u>रजिस्टर्ड डाक द्वारा</u>

संख्याः 1/2020/4599 प्रो०/51-2019-14(06)/2019

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

<u>मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊः दिनांक 08 जून, 2019

विषयः <u>राज्य अतिथियों के सेवा सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 721/नाजिर-नौ-ए, दिनांक 27 नवम्बर, 2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्न देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 3,57,224=00 (रूपये तीन लाख सत्तावन हजार दो सौं चौबीस मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्रम सं०	**मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक**	**<u>धनराशि</u>**
1-	मा० न्यायमूर्ति श्री ए०पी० शाही, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, पटना। वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 3002, दिनांक 26-10-2019 से 29-10-2019, देयक संख्याः इटीडब्लू-2326, दिनांक 31-10-2019	रू० 47,317=00
2-	मा० न्यायमूर्ति श्री विश्वनाथ सोमद्दर, मोस्ट सीनीयर जज, मा० उच्च न्यायालय, कलकत्ता। वाहन संख्याः यू०पी०-70 इ०एन०- 9393, दिनांक 17-10-2019, देयक संख्याः 475, दिनांक 18-10-2019	रू० 3,360=00
3-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत।	रू० 36,120=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 6574, दिनांक 05-10-2019 से 08-10-2019, देयक संख्याः पीआरजे०-110, दिनांक 17-10-2019	
4-	मा० न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा, जज,मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। दिनांक 02-10-2019 से 05-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे०-111, दिनांक 24-10-2019	रू० 27,090=00
5-	श्री रोहित कुमार, आई०ए०एस०/संयुक्त सचिव (पीएमजीएसवाई/आरयूआरबीएएन/एसएजीवाई/आईटी) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 04-10-2019 से 06-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 4505, देयक संख्याः पीआरजे०-112, दिनांक 24-10-2019	रू० 22,050=00
6-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 07-10-2019 से 10-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, देयक संख्याः पीआरजे०-113, दिनांक 24-10-2019	रू० 36,120=00
7-	मा० न्यायमूर्ति श्री ए०पी० शाही, मा० मुख्य न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 07-10-2019 से 10-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे०-114, दिनांक 24-10-2019	रू० 27,090=00
8-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 11-10-2019 से 13-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, देयक संख्याः पीआरजे०-115, दिनांक 24-10-2019	रू० 22,575=00
9-	श्री हरिवंश, मा० उप सभापति, राज्य सभा। दिनांक 14-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, देयक संख्याः पीआरजे०-116, दिनांक 24-10-2019	रू० 8,578=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10-	मा० न्यायमूर्ति श्री विवेक अग्रवाल, जज मा० उच्च न्यायालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। दिनांक 16-10-2019 से 17-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6574, देयक संख्याः पीआरजे०-117, दिनांक 24-10-2019	रू० 18,060=00
11-	श्री प्रह्लाद सिंह पटेल जी, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, टूरिज्म एवं कल्चर (स्व० प्रभार), भारत सरकार। दिनांक 21-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे०-125, दिनांक 30-10-2019	रू० 7,224=00
12-	मा० न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार शर्मा, जज, मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड। दिनांक 22-10-2019 से 24-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे०-126, दिनांक 30-10-2019	रू० 18,060=00
13-	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 26-10-2019 से 29-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०- 6572, देयक संख्याः पीआरजे०-127, दिनांक 30-10-2019	रू० 36,120=00
14-	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 27-10-2019 से 30-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-70 ई०टी०- 7599, देयक संख्याः पीआरजे०-110, दिनांक 31-10-2019	रू० 29,400=00
15-	मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, जज, मा० सर्वोच्च न्यायालय, भारत। दिनांक 27-10-2019 से 28-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०- 8992, देयक संख्याः पीआरजे०-131, दिनांक 31-10-2019	रू० 18,060=00
	(रूपये तीन लाख सत्तावन हजार दो सौं चौबीस मात्र) कुल योग	रू० 3,57,224=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

३- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 15 देयक मूलरूप में भवदीय,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।

संख्याः 4599(1)-प्रो०/51-2019-14(06)2019, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3- कोषाधिकारी, प्रयागराज।
4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ ।
5- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, टिहरी कोठी परिवहन भवन, लखनऊ।
6- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इटावा/इलाहाबाद।
7- हर्षित ट्रैवेल्स, 206ए/80ए टैगोर टाउन, इलाहाबाद।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(अजय कुमार ओझा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।